


**31 /12/2014 की स्थिति में अचल सम्पत्ति का विवरण**

कारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह सेवारत है डीमती सुनम दुके जिला उपभोक्ता को-ऑप ग्रा.  
 पति/पति का नाम डी संजीव दुके 3. वर्तमान धारित पद उच्च जेनी लिपीक  
 ज्ञान वेतन 94507 2400 t.d.a. 5. अगली वेतनवृद्धि पुनर्निर्दि  
 म्यान पद का कुल वेतन 25915

क्र. सं. या ग्राम का नाम	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरे		"दस्तावेज" मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाये कि किसके नाम पर धारित है, और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खर्च, "पट्टा, बंध, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से, अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति	
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि (आवासीय प्लॉट एवं कृषि भूमि)						02
1	02	03	04	05	06	07	08	
3	मकान नं. 30/112 विनयगाँव सेक्टर नं. 4 मन्ड	जिला	कामग 1400000/-	पति के नाम पर कामगारों के द्वारा	मैंने पति डी संजीव दुके द्वारा से आवासीय सेवाओं के तहत उतके विभागाधीन उतके द्वारा धरौ धारणकारी की गयी है।	कुछ नहीं	कुछ नहीं	

लागू न हो काट दीजिये।  
 नले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।  
 त्यकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आधरण) नियम, 1956 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है, कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा सत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे

  
 हस्ताक्षर 1315115

नाम डीमती सुनम दुके  
 पद उच्च जेनी लिपीक